<u>न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.) / ग्यारहवे</u>
<u>अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोपाल म.प्र.</u>
<u>(समक्षः—श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)</u>

<u>प्रतिभूति आवेदन कमांक 1904 / 2026</u>
<u>फाइलिंग नंबर—बी.ए.23683 / 2026</u>
<u>सी.एन.आर.नंबर—एम.पी.0401 / 028152 / 2026</u>
<u>संस्थित दिनांक 15 / 06 / 2026</u>

आलिया खान पुत्री श्री अमजद खान
आयु 27 वर्ष, निवासी म.नं. 10, रेतघाट,
भोपाल, (मध्य प्रदेश)

...........**<u>आवेदक / अभियुक्त</u>**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र श्यामलाहिल्स
भोपाल (मध्यप्रदेश)

..................**<u>अनावेदक / अभियोजन</u>**

16 / 06 / 2026

यह नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय से आरक्षी केन्द्र **श्यामलाहिल्स** भोपाल के **अपराध कमांक—64 / 2026,** अंतर्गत धारा 309(4),309(6),3(5) एवं 61(2) बी.एन.एस. का मय केस अभिलेख सहित निराकरण हेतु प्राप्त।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>SLP (CRL) No. 12669/2025 Zeba khan vs. State of Uttar Pradesh & Order</u>** में पारित आदेश दिनांक 11 / 02 / 2026 में दिये गये दिशा—निर्देशानुसार, इस प्रकरण से संबंधित आवश्यक तथ्यात्मक

स्थिति, उक्त न्यायदृष्टांत में बताये गये प्रारूप पर निम्नानुसार है :—

(A) CASE DETAIL

FIR NUMBER & DATE	64/2026 Date-10-04-2026
Police Station , District and State	shyamlahils, Bhopal, M.P.
Sections invoked	309(4), 309(6), 3(5) and 61(2) BNS
maximum punishment prescribed	10 years

(B) CUSTODY & PROCEDURAL COMPLIANCE

Date of Arrest	12-04-2026
Total period of custody undergone	65 Days

(C) STATUS OF TRIAL

Stage of proceeding (Investigation/Chargesheet /Cognizance/Framing of charges/Trial)	Chargesheet
Total number of witnesses cited in the chargesheet	34
Number of prosecution witnesses examined	-

(D) CRIMINAL ANTECEDENTS

FIR No. & Police Station	83/2023 & Habibganj, Bhopal
Section	120B, 380, 457
Status (Pending/Acquitted/convicted	-

(E) PREVIOUS BAIL APPLICATIONS

Court	-
Csea no.	-

Outcome of case	-

(F) COERCIVE PROCESSES

Whether any Non-Bailable Warrant was issued	-
Whether declared a proclaimed offender	-

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री सैय्यद अशहर अनवर, अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री सुरेश मालवीय, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **प्रथम नियमित प्रतिभूति** आवेदन अंतर्गत् धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक **15.06.2026** का निराकरण किया जा रहा है।

उक्त आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती जैनब खान पत्नी श्री मोहम्मद फरीद खान, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी म.नं. 139, कबीटपुरा, रविदासपुरा, शाहजहांनाबाद, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से **प्रथम** प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के अलावा कोई भी आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न लंबित है और न ही निराकृत हुआ है।

प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना श्यामलाहिलस भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक–64/2026 पंजीबद्ध कर आवेदिका/अभियुक्त को दिनांक 12.04.2026 को गिरफतार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से आवेदिका/अभियुक्त आवेदिका/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसे मात्र सहअभियुक्त के कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदिका/अभियुक्त अपराध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है।

आवेदिका/अभियुक्त एक सम्मानिक नागरिक है तथा पूर्व में वह राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो में जिला स्तर पर सहसचिव के पद पर पदस्थ रह चुकी है। आवेदिका/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदिका/अभियुक्त भोपाल का स्थाई निवासी है उसके भागने अथवा फरार होने की संभावना नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उक्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्त को प्रतिभूति का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदिका/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा उसके एक आपराधिक रिकार्ड की निरंक सूची प्रस्तुत की गई है।

आवेदिका की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में निवेदन किया गया है कि आवेदिका द्वारा लूट की कोई घटना कारित नहीं की गई है किसी अन्य तथ्यों को लेकर अभियोगी द्वारा आवेदक को मिथ्या प्रकरण में आलिप्त किया गया है। आवेदिका की दो अवयस्क संतान हैं, जिनका पालन–पोषण आवेदिका के बिना संभव नही है। अतः प्रतिभूति का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है। तर्क समर्थन में आवेदिका एवं उसकी अवयस्क संतानों के आधार कार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

आवेदन का अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए निवेदन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्त ने अपने भाई अयान के साथ लूट की योजना बनाकर लूट की है। प्रतिभूति का लाभ दिए जाने पर आवेदक/अभियुक्त साक्षियों को डराधमका सकती है। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः आवेदक/अभियुक्त का प्रतिभूति आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का परिशीलन किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना श्यामलाहिल्स में पदस्थ उपनिरीक्षक सुमेरसिंह तेकाम को फरियादी डॉ. मनोज वर्मा ने जयप्रकाश अस्पताल में इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 10.04.2026 को करीब सुबह 08.00 बजे अपनी साईकिल से घूमने के लिए जा रहा था। बोट क्लब की तरफ से घूमकर वापस अपने घर कमला पार्क मस्जिद से दानिश टॉप एण्ड टाउन की ओर जाने वाले मेन रोड पर

पहुंचा तो एक मोटर साईकिल ने उसकी साईकिल को पीछे से टक्कर मार कर उसे गिरा दिया एवं मोटरसाईकिल वाला लड़का आगे जाकर खड़ा हो गया। इतने में दो लड़के उसके पास आए एक लड़के ने उसकी आँखो में मिर्जी पाउडर डाल दिया ओर उसे पकड़कर उसके हाथ में पहना सोने का कड़ा, घड़ी, ओर जेब में रखे कुछ पैसे लेकर भाग गये। लड़को को सामने आने पर वह पहचान लेगा। गिरने से उसके दाहिने हाथ, पसली, कमर पर चोट आई थी। फिर उसने अपनी पत्नि अर्चना को फोन किया तथा उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना श्यामलाहिल्स में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से आवेदिका/अभियुक्त की अपने भाई सहअभियुक्त अयान के साथ मिलकर अभियोगी से लूट की घटना कारित करने की योजना तैयार करने एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा उस योजना के अनुक्रम में अभियोगी से 11 तोले का सोने का कड़ा, घड़ी एवं रूपए की लूट कारित करने के अपराध में संलिप्तता होना दर्शित है।

आवेदिका/अभियुक्त के विरूद्ध यद्यपि इसी प्रकृति आपराधिक रिकार्ड होना दर्शित है तथा आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, किंतु आवेदिका/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उसके पुत्र उजाम खान एवं उसैफ खान के आधार कार्ड से दर्शित है कि उसके लगभग 10 एवं 14 वर्ष के दो पुत्र हैं। आवेदिका के बिना उसकी संतान के जीवन यापन में बाधा आना संभावित है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर भियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदिका/अभियुक्त दिनांक 12.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्त को प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त **आलिया खान पुत्री श्री अमजद खान** की ओर से प्रस्तुत नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.एक्ट 2023 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से संबंधित न्यायालय की

संतुष्टि योग्य **20,000/—रूपये (बीस हजार रूपये)** की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन पेश हो तो उन्हें प्रतिभूति पर छोड़ा जाये:—

1—आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगी।

2—अभियुक्त प्रकरण से संबंधित साक्ष्य एवं साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी।

3—अभियुक्त धारा—480 बी.एन.एस.एस.2023 में वर्णित शर्तो का पालन करेगी।

4—अभियुक्त प्रत्येक नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगी।

5—अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगी तथा इसी प्रकृति का अन्य कोई अपराध नहीं करेगी। ।

आदेश की एक प्रति सहित संबंधित न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाए।

प्रतिभूति आवेदन का परिणाम अंकित कर नियत समयावधि में प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु प्रेषित किया जावे।

सही/—
(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)
भोपाल (म.प्र.)

प्रतिलिपि :—

1. आदेश की एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

SUCHITA SRIVASTAV

Digitally signed by SUCHITA SRIVASTAV
Date: 2026.06.17 12:42:53 +0530

(श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)
भोपाल (म.प्र.)